# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

**(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्या 128/2021 निर्णय दिनांकः– 06.01.2022

**उनवानी वाद :**

1. रामनारायण पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी पनवाड़ हाल निवासी नयाखेड़ा कुन्हाडी तहसील कोटा राज0
2. लक्ष्मणकुमार पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी पनवाड़ हाल निवासी नयाखेड़ा कुन्हाडी तहसील कोटा राज0

–वादीगण–

**बनाम**

1. लालीबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि घासीलाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी दईखेड़ा, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. बरदी पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि चौथमल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी नान्ता जिला कोटा राज0
3. विमलाबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि रामलाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी बड़गांव जिला कोटा राज0
4. द्वारकाबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि रामगोपाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी बड़गांव, थरमल कॉलोनी जिला कोटा राज0
5. पानीदेवी पत्नी मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि रामलाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी नयाखेड़ा कुन्हाडी तहसील कोटा राज0
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक

**– प्रतिवादीगण–**

**उपस्थिति :–**

**श्री प्रेमचन्द जैन**
**अधिवक्ता प्रार्थी**

**श्री अनिल चौहान**
**प्रतिवादी संख्या 1 ता 5**
**पेराकार सरकार**

## दावा अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट सपठित धारा 88 राज. टि. एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3419 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 3420 रकबा 0.7500 है0, खसरा नम्बर 3740/1829 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 3741/3185 रकबा 0.2500 है0 किता–4 रकबा 1.2600 है0 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली

जिला टोंक राज0 में स्थित है। जो वादीगण तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिनके मध्य उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करने तथा उपयोग उपभोग मे आपस मे कोई विवाद किसी प्रकार का नही है, मौके पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से के मुताबिक काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता मांग्या उर्फ मांगीलाल की खातेदारी की थी उनके देहान्त के बाद वर्षो पहले जरिये विरासत उसके वारिसान के रूप में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई है तथा जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया है, जिस समय मांग्या उर्फ मांगीलाल का देहान्त हुआ था उस समय वादीगण काफी छोटे थे जो अनपढ़ तथा ग्रामीण होने के कारण तथा विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय पटवारी व गांव वालो ने वादी नं0 1 का नाम महावीर अंकित करवा दिया जब कि वादी नं0 1 का नाम महावीर न होकर रामनारायण है। तथा वादी नं0 2 का नाम राध्येश्याम अंकित कर दिया गया है जबकि वादी नं0 2 राधेश्याम न होकर लक्ष्मणकुमार है इस प्रकार सहवन से जमाबन्दी से महावीर व राधेश्याम अंकित है जबकि वह रामनारायण तथा लक्ष्मणकुमार है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। जमाबन्दी में महावीर के स्थान पर रामनारायण तथा राधेश्याम के स्थान पर लक्ष्मणकुमार दर्ज किये जाने योग्य है, मांग्या उर्फ मांगीलाल के पुत्रो मे महावीर व राधेश्याम नाम का कोई पुत्र नही है बल्कि रामनारायण व लक्ष्मणकुमार है जिनके स्कूल प्रमाण पत्र, समस्त सरकारी रिकार्ड, वोटर आईडी, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जारी पारिवारिक सजरे के मुताबिक रामनारायण, लक्ष्मणकुमार पिता मांगीलाल के रूप में अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण के नाम जमाबन्दी में गलत रूप से अंकित है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने पूर्व में नाम दुरूस्त करवाने का काफी प्रयास किया परन्तु इनकी कोई सुनवाई नही हुई इस लिए माननीय न्यायालय के समक्ष दावा पेश करना आवश्यक हुआ जिसका वादीगण की अधिकार/बिनायदावा प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :-वादपत्र के चरण नं0 1 में वर्णित आराजियात ग्राम पनवाड़ मे स्थित होना तथा उसमे पक्षकारान का संयुक्त कब्जा व हिस्सा होना स्वीकार है। वादपत्र के चरण नं0 2 सही है स्वीकार है, पक्षकारान मांग्या उर्फ मांगीलाल धोबी के

Ri.22

वारिसान है, राजस्व रिकार्ड मे सहवन से वादी नं0 1 का नाम रामनारायण के बजाये महावीर तथा वादी नं0 2 का नाम लक्ष्मणकुमार के बजाय राधेश्याम सहवन से अंकित किया गया है जबकि महावीर व राधेश्याम गलत है उनके स्थान पर अर्थात महावीर के स्थान पर रामनारायण तथा राधेश्याम के स्थान पर लक्ष्मणकुमार होना चाहिए है। वादपत्र के चरण नं0 3 सही है स्वीकार है। वादपत्र के चरण नं0 4 सही है स्वीकार है। वादपत्र के चरण नं0 5 ता 9 सही है स्वीकार है, वादीगण का दावा स्वीकार करके इनके नाम जमाबन्दी मे संशोधित करने मे हमे कोई आपत्ति नही है। अतः इकबाली जवांब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार करके इनके नाम जमाबन्दी मे संशोधित करने मे हमे कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार देवली ने प्रशासन गांवो के संग कैम्प 2021 में मजमेआम में जानकारी कर पत्रावली में आदेशिका पर नो आब्जेक्शन लिखा।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बताया कि पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने इकबालिया जवाब पेश किया है और तहसीलदार ने भी पत्रावली में नो ऑब्जेक्शन किया है। अतः साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर कर बहस की प्रार्थना की।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता मांग्या उर्फ मांगीलाल का फोती नामान्तकरण खोलते समय वादी नं.1 का नाम रामनारायण के स्थान पर महावीर और वादी नं. 2 के नाम लक्ष्मण कुमार के स्थान पर महावीर दर्ज करवा दिया । जिसको दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया है। वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

पत्रावली बहस में कथन किया कि जवाब में नो ऑब्जेक्शन कर दिया था । कोई आपति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब व अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो में जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में वादी संख्या 1 का नाम महावीर पुत्र मांग्या व वादी संख्या 2 का नाम राधेश्याम पुत्र मांग्या दर्ज रिकॉर्ड है, जिनको वादीगण शुद्व करवाकर महावीर के स्थान पर रामनारायण व व राधेश्याम के स्थान पर लक्ष्मण कुमार करवाना चाहता है। अपने वाद को साबित करने के लिए वादी संख्या 1 ने आधार कार्ड संख्या 5737 1980 2235, परिवार राशन कार्ड संख्या 107000100682,

कक्षा 8 की अंक तालिका 1985–86 स्कूल का नाम जे. जी. एस राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय नान्ता महल, कोटा, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा दिनांक 4.4.89 व पहचान पत्र पेश किये है जिनमें रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति धोबी निवासी कोटा का अंकन है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने आधार कार्ड संख्या 4783 3244 3472, परिवार राशन कार्ड संख्या 02423, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा दिनांक 3.7.99, पहचान पत्र पेश किये है जिसमें लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री मांगीलाल का अंकन है।

परिवार राशन कार्ड व पहचान पत्र व आधार कार्ड में वादीगण संख्या 1 व 2 का नाम क्रमशः रामनारायण व लक्ष्मण कुमार दर्ज है और यह सरकारी रिकॉर्ड है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है सहवन से वादीगण का नाम महावीर व राधेश्याम दर्ज हो गया जिनको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाके ग्राम पनवाड़ जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 464 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 है0 में दर्ज महावीर के स्थान पर रामनारायण तथा राधेश्याम के स्थान पर लक्ष्मण कुमार दर्ज रिकॉर्ड करने की उद्घोषणा की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी........................................................................................मुकाम
देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ..............................
उनवानी वाद :

1. रामनारायण पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी पनवाड़ हाल निवासी नयाखेड़ा कुन्हाडी तहसील कोटा राज0
2. लक्ष्मणकुमार पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी पनवाड़ हाल निवासी नयाखेड़ा कुन्हाडी तहसील कोटा राज0

—वादीगण—

**बनाम**

1. लालीबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि घासीलाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी दईखेड़ा, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. बरदी पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि चौथमल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी नान्ता जिला कोटा राज0
3. विमलाबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि रामलाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी बड़गांव जिला कोटा राज0
4. द्वारकाबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि रामगोपाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी बड़गांव, थरमल कॉलोनी जिला कोटा राज0
5. पानीदेवी पत्नी मांग्या उर्फ मांगीलाल पत्नि रामलाल धोबी निवासी पनवाड़ तहसील देवली हाल निवासी नयाखेड़ा कुन्हाडी तहसील कोटा राज0
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक

— प्रतिवादीगण—

<u>दावा अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट सपठित धारा 88 राज. टि. एक्ट</u>

**मुकदमा नं. 128 सन् 2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रेमचन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू इकबालिया जवाब अधिवक्ता श्री अनिल चौहान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

# आदेश

वाके ग्राम पनवाड़ जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 464 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 है0 में दर्ज महावीर के स्थान पर रामनारायण तथा राधेश्याम के स्थान पर लक्ष्मण कुमार दर्ज रिकॉर्ड करने की उद्घोषणा की जाती है।

निजी.............................................मुवलिक..........................................बाबत् ..........................................................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ............................ फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ............... की अद्दा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ..........................................

मुहर

ओहदा ............उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)............

| मुददई | रू. | पै. | मुद्दायलह | रू. | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अदालत नामा | | | स्टाम्प अदालत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनतान वकील | | |
| मेहनतान वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजरायहुक्मनामा | | |
| बाबत् इजरायहुक्मनामा | | | अन्य मिजान | | |
| अन्य | | | | | |
| मिजान | | | | | |

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए